59

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बासवाडा जिला बांसवाडा(राज)

प्रकरण संख्या –76/2024

59/20.1.2025

वादी– अभिभाषक :– अशोक मेहता

उनवान

1–श्री देवचन्द पुत्र स्व. धनिया पटेल उम्र 62 जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा

2–श्री प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र स्व.धनिया पटेल उम्र 60 वर्ष जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा

वादीगण –

बनाम

1–श्री हीरा पुत्र स्व.धनिया पटेल उम्र 81 वर्ष जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा

2–श्री राज्य जरिये तहसीलदार ,तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजीनाम

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी हीरा के स्वामित्व व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 27 (नया)72(पुराना) का सर्वे नम्बर 665/624 रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि सर्वे नंम्बर 224/ 1 रकबा 2 बीघा देवचन्द ,प्रभु ,हीरा पुत्र के कृषको को स्थाई रूप से आवंटन की गयी है । आवंटन सूची में कम संख्या 17 पर नाम दर्ज है । उपरोक्त भूमि के नामान्तरण में नया सर्वे नम्बर 665/624 रकबा 2 बीघा को गलती से देवचन्द पिता प्रभु व हीरा पिता धनिया निवासी रघुनाथ के नाम गलत दर्ज कर लिया गया

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

तथा गलत नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज किया गया एवं जमाबन्दी में देवचन्द पुत्र प्रभु 1/2 एवं हीरा पिता धनिया 1/2 दर्ज कर दिया गया जमाबन्दी में गलत दर्ज हो जाने से वादीगण 1.देवचन्द व 2. प्रभु को काफी कठिनाई हो रही है तथा वादीगण को खाद बीज लेने व फसल बीमा करवाने में काफी कठिनाई होने के कारण वाद दर्ज किया गया उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनाम की सहमती के लिए राजीकर उभयक्ष की ओर से पेश राजीनाम को स्वीकार कर राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा पत्रावली में शामिल मिसल किया गया वादी /प्रतिवादी का राजीनाम अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं 99 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राजीनाम आज दिनांक 20.01.2025 को वादी तस्दीक किया जाकर 1–श्री देवचन्द पुत्र स्व. धनिया पटेल उम्र 62 जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा 2–श्री प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र स्व.धनिया पटेल उम्र 60 वर्ष जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा के अभिभाषक श्री अशोक मेहता ने वादी व प्रतिवादी श्री मनोहर पटेल द्वारा पहचान कराते हुए राजीनामा प्रस्तुत किये जाने पर वादी प्रतिवादी की सहमति होने से राजीनामा न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण 1.देवचन्द पुत्र स्व.

धनिया पटेल 2–प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र स्व.धनिया पटेल निवासी रघुनाथपुरा एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिरा पुत्र धनिया पटेल निवासी रघुनाथपुरा हाल निवासी गारिया शिवपुरा सुन्दनपुर को कृषि भूमि खाता संख्या 27 (नया) 72 (पुराना) का सर्वे नम्बर 665/624 रकबा 0.3236 हैक्टर लगानी रूपया 0.19 वाके मौजा नवाटापरा तहसील आबापुरा को खातेदार घोषित कर जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड में शुद्धि कर देवचन्द पुत्र धनिया 1/3,प्रभु पुत्र धनिया 1/3 एवं प्रतिवादी हीरा पुत्र धनिया 1/3 खातेदार के रूप में दर्ज करने की स्वीकृति आदेश दिया जाकर तहसीलदार आबापुरा को उक्त राजीनामा अनुसार शुद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त वाद का निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को सुनाया जाकर पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो दाखिल दफतर हो । साथ अलग से डिग्री जारी हो ।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम बांसवाडा व इजलास सुश्री रजनी माधीवाल

प्रकरण संख्या –76/2024

उनवान

1. श्री देवचन्द पुत्र स्व. धनिया पटेल उम्र 62 जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा
2. श्री प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र स्व.धनिया पटेल उम्र 60 वर्ष जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा

वादीगण

बनाम

1. श्री हीरा पुत्र स्व.धनिया पटेल उम्र 81 वर्ष जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल ,पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा
2. श्री राज्य जरिये तहसीलदार ,तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 20.01.2025

वादीगण श्री देवचन्द्र पुत्र स्व.धनिया पटेल एवं श्री प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र स्व.धनिया पटेल जाति पटेल निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट छोटी बदरेल पटवार हल्का बदरेल खूर्द तहसील आबापुरा को उभयपक्ष के राजीनामे के आधार पर अन्य राजस्व रिकार्ड में देवचन्द्र पुत्र धनिया 1/3,प्रभु पुत्र धनिया 1/3 एवं प्रतिवादी हीरा पुत्र धनिया 1/3 खातेदार घोषित किया जाता है । साथ ही

उक्त आशय की डिक्री जारी की जाती है ।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालान आज की तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे ।

अदा बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20.01.2025 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी

(रजनी माधीवाल)

उपखण्ड अधिकारी

बांसवाडा

Scanned with CamScanner